Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या 15-4/33/85-ओ एंड एम (वॉल्यूम IV) दिनांक : ।। दिसम्बर, 2017
No.

प्रेषक
From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी

<u>विषय:-</u> केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरणियों का प्रस्तुतीकरण-प्रमाण पत्र भेजने हेतु।

<u>Subject:</u>- Submission of annual property returns by Group 'A' & 'B' officers u/r 18(1) (ii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 – furnishing of Certificate – Reg.

महोदय/ महोदया,

मुझे यह कहना है कि परिषद् के अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारीयों/कर्मचारियों को वर्ष 2017 का वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना है|

इस संबंध में संस्थान /प्रयोगशाला के वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि स्वयं तथा संसथान/प्रयोगशाला के निदेशक के वर्ष 2017 के वार्षिक संपत्ति विवरण दिनांक 31.01.2018 तक अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करें तथा संस्थान / प्रयोगशाला के अन्य समूह 'क' तथा 'ख' अधिकारियों / कर्मचारियों के वर्ष 2017 का वार्षिक संपत्ति विवरण दिनांक 31.01.2018 तक स्वयं प्राप्त करें तथा सभी पावतीयों का प्रमाण-पत्र अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 10.02.2018 तक इस कार्यालय में अवश्य प्रेषित कर दें। प्रोफोर्मा में वार्षिक सम्पति का विवरण पूर्ण रूप से भरें तथा "no change" और "same as before" का प्रयोग करने से बचा जाए।

इस संबंध में यह भी देखा गया है कि बहुत से अधिकारी / कर्मचारी अपना वार्षिक संपति विवरण समय पर जमा नहीं करते हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें सतर्कता अन्नापति प्रमाण पत्र जारी किया जाना संभव नहीं होता है| अतः प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासन नियंत्रक/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक वक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी/कर्मचारी जो इन नियमों के अन्तर्गत आते हैं वे समय से अपना वार्षिक संपति विवरण जमा करायें|

इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/11/2007 – Estt. A दिनांक 27.09.2011, जिसे सीएसआईआर के पत्र सं. 15-6(82)/98-ओ एंड एम – II, दिनांक 15.01.2013 के द्वारा पृष्ठांकित किया गया था, द्वारा जारी किये गए दिशा – निर्देश भी सभी संबंधितों के संज्ञान में पुनः लायें।

भवदीय,

(मेजर राणा विक्रम सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:
1. उप सचिव (के.का.), सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली
2. उप सचिव, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
3. प्रशासन नियंत्रक, मानव संसाधन विकास केंद्र, गाज़ियाबाद
4. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभार, सीएसआईआर –सीएसआईआर की वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध करने हेतु।